भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

भूमि उच्छेद वाद सं0–04/2016–17

अंचल अधिकारी, गोड्डा

बनाम्

प्रफुल्ल यादव

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्यु

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व में पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक– 934/रा0, दिनांक–29/06/2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा– गंगटा खुर्द, थाना नं0– 515, ज0 नं0–51, दाग नं0–1086/1386, रकवा–00–02–00 धुर जमीन जो खतियान में देवान हाँसदा वगैरह वर्त्तमान ज0रैयत जयनारायण हाँसदा वगैरह, पे0–रामकाश हाँसदा साकिन– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रफुल्ल यादव द्वारा दाग नं0–1086, रकवा–00–02–00 आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री प्रफुल्ल यादव, पे0–बद्रीलाल मांझी, ग्राम– गंगटा खुर्द, जिला–गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है।

प्रफुल्ल यादव द्वारा पक्ष रखा गया है। 00–02–00 (दो कट्ठा) भूमि मुन्दर कापरी, ग्राम–देवबन्धा, टोला –डुमरिया, थाना–पोड़ैयाहाट को खतियानी रैयत के वंशज रमका हाँसदा द्वारा 1934 में दिया गया। मुन्दर कापरी द्वारा भूमि को कब्जा में लेकर मकान बनाया गया। मुन्दर कापरी के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र सुजाधर प्रसाद के कब्जे में जमीन एवं मकान आया। सुजाधर प्रसाद ने श्रीमति सोनी देवी पति–प्रफुल्ल यादव को शादी के समय यह जमीन एवं मकान दिया। श्रीमति सोनी देवी द्वारा पुराने मकान को तोड़कर नया पक्का का मकान बनाया गया जिसमें वे शांतिपूर्वक सपरिवार रहते है। नगर पंचायत को टैक्स देते है एवं बिजली विभाग को बिल देते है। उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्कारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्त्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।